

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित करने की तिथि: 16 अप्रैल, 2014

निर्णय की तिथि: 24 अप्रैल, 2014

आप.अ. 974/2011

चंदन उर्फ बाबर

....अपीलार्थी

द्वारा: श्री अदित एस. पुजारी, अधिवक्ता,
श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली)

..... उत्तरदाता

द्वारा: श्री लवकेश साहनी, अति.लो.अभि.।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी. गर्ग

न्या. एस.पी. गर्ग

1. चंदन उर्फ बाबर ने सत्र मामला सं. 39/2008 में दोषसिद्धि को चुनौती दी है, जो पुलिस थाना बाड़ा हिंदू राव में पंजीकृत प्राथमिकी सं. 64/2008 से उत्पन्न हुई है, जिसके अंतर्गत उसे धारा 120-ख/392/397 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया था और सात साल के कठिन कारावास का दंड सुनाया गया था।

2. संक्षेप में कहा जाए तो, आरोप-पत्र में प्रस्तुत अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 13.06.2008 को सुबह लगभग 05.00 बजे दुकान सं. टी-736, टायर मार्केट, आज़ाद मार्केट, डीसीएम रोड के सामने आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत चंदन उर्फ़ बाबर और उसके साथियों - मुकेश उर्फ़ मुक्का, करण सिंह उर्फ़ देवा और मोहम्मद वसीम ने परिवादी - मनोज कुमार से 2,500/- रुपये, विज़िटिंग कार्ड और मोबाइल फ़ोन संख्या 9212421161 लूट लिया। उन्होंने दीपक शर्मा (अभि.सा.-1) से 3,500 रुपये और रेलवे टिकट भी लूट लिए। डकैती के समय उनके पास चाकू थे और परिवादी मनोज कुमार और दीपक से उनके कीमती सामान छीनने के लिए घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। जाँच के दौरान, तथ्यों से परिचित साक्षियों के बयान दर्ज किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ़्तार कर लिया गया। जाँच अधिकारी ने पहचान परेड कराने के लिए आवेदन दिया। अभियुक्त ने पहचान परेड में भाग लेने से मना कर दिया। अभियुक्त के बताए जाने पर लूटी गई वस्तुएँ बरामद की गईं। जाँच पूरी होने के बाद उनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। उन पर विधिवत आरोप लगाए गए और उन पर विचारण चलाया गया। अभियोजन पक्ष ने 26 साक्षियों का परीक्षण किया। दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने बयान में अभियुक्त ने झूठे आरोप लगाने का दावा किया। साक्ष्यों की विवेचना करने और पक्षकारगण की परस्पर विरोधी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी चंदन उर्फ़ बाबर और

उसके साथियों मुकेश उर्फ मुक्का और करण सिंह उर्फ देवा को दोषी करार दिया। मोहम्मद वसीम को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। व्यथित होकर, अपीलार्थी ने अपील दायर की है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य की उसके सही और उचित परिप्रेक्ष्य में विवेचना नहीं की है। अभियुक्तगण को अभियोजन पक्ष के साक्षियों को दिखाया गया। पुलिस थाना में उनके रेखाचित्र तैयार किए गए और साक्षियों को तस्वीरें दिखाई गईं। अभियुक्तगण द्वारा पहचान परेड में भाग लेने से इनकार करना उचित था। साक्षियों ने इस बारे में असंगत बयान दिया कि उनमें से किसने उन्हें लूटने के लिए चाकू का उपयोग किया। टीएसआर को लावारिस हालत में पाया गया। अभि.सा.-12 (मुकेश चंद शर्मा) ने अपना पक्ष बदल लिया और अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। परिवादी और दीपक की मौजूदगी में लूटी गई वस्तुएँ बरामद नहीं की गईं। बरामद नोटों पर पहचान का कोई विशेष चिह्न नहीं था। अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप थे कि वह उस टीएसआर के ड्राइवर के साथ बैठा था जिसमें पीड़ित यात्रा कर रहे थे। उसने पीड़ितों को लूटने का प्रयास नहीं किया। उसे किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया था। राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. ने दलील दी कि अभियुक्तगण की पहचान परिवादी और अभि.सा.-1 (दीपक शर्मा) ने

न्यायालय में की थी। उनका अभियुक्तगण को मामले में झूठा फँसाने का कोई इरादा नहीं था।

4. मैंने पक्षकारगण की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख का परीक्षण किया है। यह उल्लेखनीय है कि सह-दोषी करण सिंह उर्फ देवा ने आप.अ. सं. 411/2011 प्रस्तुत की थी, जिसका निपटान इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2013 के आदेश के अंतर्गत किया गया था। अपीलार्थी - करण सिंह उर्फ देवा की भा.दं.सं. की धारा 392/120-ख के अंतर्गत दोषसिद्धि बरकरार रखी गई। दंड के आदेश को संशोधित किया गया और मूल दंड को घटाकर पाँच साल कर दिया गया। अन्य दंडों को बरकरार रखा गया। अपीलार्थी का मामला भी इसी आधार पर है। उक्त अपील में दोषसिद्धि के कारण वर्तमान अपील में भी समान रूप से और पूरी तरह से लागू होते हैं। सबसे पहले, यह उल्लेख किया जा सकता है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने डकैती की घटना को चुनौती नहीं दी। उनका एकमात्र अभिवाक् यह है कि अपीलार्थी अपराध करने वालों में से नहीं था। अभि.सा.-1 (दीपक शर्मा) और अभि.सा.-4 (मनोज कुमार) की अभियुक्तगण को लूट की घटना में फँसाने के लिए कोई दुश्मनी नहीं थी, जिसमें उनसे नकदी सहित बहुमूल्य सामान छीन लिया गया था, जब वे टीएसआर संख्या डीएल 1 आर.ई. 9747 में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से आनंद पर्वत जा रहे थे। पुलिस तंत्र तब हरकत में आया जब सुबह 05.27 बजे बारा हिंदू राव पुलिस थाना में डीडी सं.

8/ख (अभि.सा. 15/क) दर्ज किया गया, जब सूचना मिली कि टीएसआर सं. डीएल 1आरएफ 1454 में यात्रा कर रहे तीन लड़कों ने नकदी और कीमती सामान लूट लिया है। अपने बयान (अभि.सा.-4/क) में परिवादी - मनोज कुमार ने घटना का विस्तृत विवरण दिया। उसने हमलावरों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। परिवादी को हमलावरों से कोई परिचय नहीं था, जिससे उन्हें घटना में गलत तरीके से फँसाया जा सके। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सुबह 06.30 बजे रुक्का (अभि.सा.23/क) के माध्यम से दर्ज की गई। प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में कोई विलंब नहीं हुआ और इसने किसी भी झूठे निर्माण की संभावना को खारिज कर दिया।

5. जाँच के दौरान, चंदन उर्फ बाबर को पुलिस थाना मंडावली में दर्ज प्राथमिकी सं. 239/2008 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और उसे तिहाड़ जेल सं. 8 में रखा गया। जाँच अधिकारी ने प्रस्तुति वारंट जारी करने के लिए आवेदन दिया। उससे पूछताछ की गई और उसका प्रकटीकरण बयान (अभि.सा. 9/ख) दर्ज किया गया। पहचान परीक्षण कार्यवाही आयोजित करने के लिए आवेदन किया गया। अभि.सा.-26 (आशीष अग्रवाल, महानगर दंडाधिकारी) ने 17.07.2008 को पहचान परीक्षण कार्यवाही आयोजित की जिसमें आरोपी ने भाग लेने से इनकार कर दिया। टीआईपी कार्यवाही में भाग न लेने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। अभि.सा.-4 (मनोज कुमार) ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में चंदन उर्फ बाबर को

हमलावरों में से एक के रूप में पहचाना और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी पहचान की। उसने अपनी पहचान स्पष्ट रूप से बताई और बयान दिया कि अपीलार्थी ही हमलावर था जो टीएसआर ड्राइवर की सीट पर चाकू लेकर बैठा था। प्रति-परीक्षा में, उसने आगे बयान दिया कि अभियुक्त द्वारा टीआईपी कार्यवाही में भाग लेने से इनकार करने के बाद, उसने पुलिस थाना बारा हिंदू राव में उसकी पहचान की। अभि.सा.-1 (दीपक शर्मा) को भी यकीन था कि न्यायालय में मौजूद अभियुक्त- चंदन उर्फ बाबर हमलावरों में से एक था। इन स्वतंत्र सार्वजनिक साक्षियों के मन में अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दुर्भावना नहीं थी कि वे उसे झूठा फँसाएँ और असली अपराधियों को बरी होने दें। पुलिस साक्षियों ने भी साक्ष्य दिया कि अभियुक्तगण की निशानदेही पर कुछ लूटे गए सामान बरामद किए गए थे और न्यायालय में उनके गवाही में अभि.सा.-1 और अभि.सा.-4 ने उनकी पहचान की थी। सह-अभियुक्त वसीम को बरी किए जाने से अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं है। सह-अभियुक्त वसीम टीएसआर ड्राइवर था और टीएसआर से नीचे नहीं आया था। परिणामस्वरूप, अभि.सा.-1 और अभि.सा.-4 का उससे कोई सीधा सामना नहीं हुआ। वसीम को संदेह का लाभ दिया गया क्योंकि अभि.सा.-1 और अभि.सा.-4 उसे हमलावरों में से एक के रूप में पहचानने में असमर्थ थे। हमलावरों की असली पहचान करने के लिए पुलिस थाना में अभियोजन पक्ष के साक्षियों को अपराधियों की तस्वीरें दिखाई गईं। उस समय अभियुक्त तस्वीर में नहीं था।

यह अभिलेख में नहीं है कि टीआईपी के लिए आवेदन करने से पहले अभि.सा.-1 और अभि.सा.-4 को अभियुक्त की कोई तस्वीर दिखाई गई थी। परिवादी ने हमलावरों का विवरण दिया था और उन्हें पहचानने का दावा किया था। अभि.सा.-1 और अभि.सा.-4 द्वारा न्यायालय में अभियुक्तगण की पहचान करना महत्वपूर्ण है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता। केवल इसलिए कि अभि.सा.-12 (मुकेश चंद शर्मा) ने न्यायालय में हमलावरों की पहचान नहीं की, अन्यथा स्वतंत्र साक्षियों अभि.सा.-1 और अभि.सा.-4 की ठोस और विश्वसनीय गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध साबित की गई परिस्थितियों के बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया। विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अभियुक्त डकैती करने वाले हमलावरों में से एक था, साक्ष्यों के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 397 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था, जिसके अनुसार उसने डकैती के समय कथित तौर पर 'घातक' हथियार का उपयोग किया था। इस पहलू पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य अपर्याप्त हैं। अभि.सा.-1 और अभि.सा.-4 इस बात को लेकर निश्चित नहीं थे कि डकैती के समय अपीलार्थी ने चाकू का उपयोग किया था या नहीं। साक्षियों की मौजूदगी में अभियुक्त से या उसके पास से कोई चाकू बरामद नहीं किया गया। न्यायालय के समक्ष दी गई अपनी गवाही में, अन्य मामले में कथित रूप से

बरामद चाकू उन्हें नहीं दिखाया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह वही चाकू है जिसका उपयोग अभियुक्तगण ने डकैती करने के लिए किया था। अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने चाकू के आकार, माप आदि के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी, जिससे यह स्थापित हो सके कि यह एक 'घातक' हथियार था। पीड़ितों को किसी भी हथियार से कोई चोट नहीं पहुँचाई गई। धारा 397 के अंतर्गत अपीलार्थी को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है और वह इस आधार पर संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

7. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, भा.दं.सं. की धारा 392/120-ख के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है। दंड के आदेश को संशोधित किया जाता है और भा.दं.सं. की धारा 397 के साथ पठित धारा 392 के अंतर्गत अपीलार्थी को सात साल के कठिन कारावास का दंड सुनाया गया था, जिसे घटाकर पाँच साल के कठिन कारावास में बदल दिया गया है। अन्य दंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

8. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपील का निपटान किया जाता है। आदेश की एक प्रति तिहाड़ जेल अधीक्षक के माध्यम से अपीलार्थी को भेजी जाए।

9. विचारण न्यायालय का अभिलेख तुरंत वापस भेजा जाए।

(एस.पी. गर्ग)

न्यायाधीश

24 अप्रैल, 2014 / टीआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।